न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 45/2019 **दायर तारीख :–** 19-06-2019

1. ईशर पुत्र गोदाराम जाति धोबी निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

— प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश
2. रविशेखर
3. रामकिशन
4. सुरेश

(1 से 4) पुत्रान बनवारी लाल जाति बलाई समस्त निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर

5. कमली पत्नि जगदीश
6. गिरिराज
7. मालीराम
8. मोहन
9. विक्रम

(6 से 9) पुत्रान जगदीश

10. पूनम
11. बिमला
12. रीना

(10 से 12) पुत्रियान जगदीश

(5 से 12) समस्त निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर

13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढ़ी

एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 06.01.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम बागावास चौरासी पटवार हल्का बागावास चौरासी के खाता संख्या 11 के हाल आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 1.75 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.75 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–78 है। यह है कि प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2018/1 दिनांक 26.06.2018 की पालना में दिनांक 27.06.2018 को सीमाज्ञान करवाया है, लेकिन वक्त सीमाज्ञान हाल खसरा संख्या 493 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने महिलाओं सहित मिलकर जरीब के सामने आकर खडे हो गये तथा सीमाज्ञान नहीं करने दिया। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं पर स्थाई निशानात पत्थरगढ़ी करवाकर अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 11 के हाल आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 1.75 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.75 हैक्टेयर का सीमांकन पत्थरगढ़ी एवं सीमा निश्चयकरण किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बागावास चौरासी, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 11 संवत् 2075–2078, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 342 संवत् 2075–2078, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 12 संवत् 2075–2078, नकल मौका फर्द सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2018 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाकै ग्राम बागावास चौरासी पटवार हल्का बागावास चौरासी के खाता संख्या 11 के हाल आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 1.75 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.75 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहा है। परन्तु सीमाज्ञान फर्द मौका अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक/भू. अ./2018/1 दिनांक 26.06.2018 की पालना में दिनांक 27.06.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान नहीं करने दिया है। प्रकरण में प्रार्थी की आराजी की सीमा का अंकन नहीं होने से पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों को सुनकर पुलिस जाप्ता की मौजदूगी में प्रार्थी के खसरा नंबर खसरा नम्बर 492 रकबा 1.75 हैक्टेयर का सीमाज्ञान करवाना सुनिशचित करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 06.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)